1·6

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट के अन्तर्गत रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रैतोली
तहसील बेरीनाग जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.45 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.72 हे0, वन पंचायत भूमि — × — हे0) अर्थात कुल 1.17 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रैतोली द्वारा दिनांक 10-3-19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रैतोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–	ह0/–
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	प्रधान ग्राम पंचायत रैतोली
ग्राम सचिव रैतोली	वि0 ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)
क्षेत्र वि0 ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)	ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 10.3.19...को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...रैतोली...

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	भूपाल सिंह S/o शेर सिंह	[illegible]
2	चन्द्रकला देवी W/o चन्द्र सिंह	चन्द्रकला
3	धानादेवी W/o चन्चल सिंह	धानो देवी
4	बबीता देवी W/o शेर सिंह	बबीता देवी
5	महेन्द्र सिंह S/o वीर सिंह	Mahendra Singh
6	गोपाल सिंह S/o पदम सिंह	गोपाल सिंह
7	भूपेन्द्र सिंह S/o चन्चल सिंह	[illegible]
8	रोहित सिंह S/o शेर सिंह	रोहित
9	गणेश सिंह S/o किशन सिंह	गणेश सिंह
10	महेन्द्र कुमार S/o धनीराम	महेन्द्र कुमार
11	चन्द्रकान्त डोरियाल S/o [illegible]	चन्द्रकान्त [illegible]
12	फकीर सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
13	सुरेन्द्र सिंह S/o हरी सिंह	सुरेन्द्र सिंह
14	चन्द्र सिंह S/o मोहन सिंह	चन्द्र सिंह
15	हीरा सिंह S/o हर सिंह	हीरा सिंह
16	पुष्कर सिंह S/o नरेन्द्र सिंह	[illegible]
17	रवीन्द्र सिंह S/o दिवान सिंह	रवीन्द्र सिंह
18	प्रताप सिंह S/o बहादुर सिंह	प्रताप सिंह
19	प्रमोद चन्द्र S/o [illegible]	[illegible]
20	रमेश चन्द्र डोरियाल S/o बालादत्त	[illegible]

ह0 / – [illegible]

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत रैतोली वि० ख० बेरीनाग (पिथौरागढ़)

1.6

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट के अन्तर्गत रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गुरना
तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.09 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.00 हे0, वन पंचायत भूमि —×— हे0) अर्थात कुल 0.09 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गुरना द्वारा दिनांक 11-3-19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गुरना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
(ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, वि0 ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़))

ह0/–
ग्राम प्रधान
(प्रधान, ग्राम पंचायत गुरना, विकासखण्ड बेरीनाग (पिथौरागढ़))

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–23.1

दिनांक 11-3-19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत गुरना

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजेश सिंह S/o भूपाल सिंह	– Rajesh
2	अमित रावत S/o भूपाल सिंह	– Amit
3	लक्ष्मण सिंह S/o हर सिंह	– [illegible]
4	महेन्द्र सिंह S/o बीर सिंह	[illegible]
5	गोपाल सिंह S/o पदम सिंह	– गोपाल सिंह
6	कुंवर सिंह S/o अमर सिंह	– कुंवर सिंह
7	राम सिंह S/o गंगा सिंह	– राम सिंह
8	बीर सिंह S/o लाल सिंह	बीर सिंह
9	नरेन्द्र सिंह S/o तिलक सिंह	नरेन्द्र सिंह
10	सागर पुजारी S/o राजू सिंह	सागर पुजारी
11	कमल सिंह S/o राम सिंह	[illegible]
12	हरीश सिंह S/o कुंवर सिंह	Harish [illegible]
13	तिलक सिंह S/o अमर सिंह	– तिलक सिंह
14	भूपाल सिंह S/o गोपाल सिंह	– [illegible]
15	भरत सिंह S/o दौलत सिंह	– भरत [illegible]

[illegible] ग्राम पंचायत [illegible] वि0 ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)

ह0/–
ग्राम प्रधान

1.6

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट के अन्तर्गत रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग का निर्माण

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम – मायल
तहसील–बेरीनाग ; जिला–पिथौरागढ़

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.63 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.00 हे0, वन पंचायत भूमि –×– हे0) अर्थात कुल 0.63 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मायल द्वारा दिनांक 10.3.19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मायल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ... वि0 ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)

ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत पिलखी ... बेरीनाग (पिथौरागढ़)
ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 10-3-19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मायल

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मुकेश कुमार S/o भवानी राम	[illegible]
2	धनसिंह S/o बहादुर सिंह	धनसिंह
3	कुशाल सिंह S/o हर सिंह	कुशाल सिंह
4	भवानी सिंह S/o उमा सिंह	भवानी सिंह
5	तिलक सिंह S/o बहादुर सिंह	Tilak Singh
6	[illegible] सिंह S/o श्रवण सिंह	[illegible] सिंह
7	योगेश सिंह S/o रूप सिंह	योगेश सिंह
8	गणेश सिंह S/o उमा सिंह	[illegible]
9	जानकी देवी W/o कृपाल सिंह	जानकी देवी
10	पुष्कर सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
11	पुष्पा देवी W/o राजेन्द्र सिंह	पुष्पा देवी
12	[illegible] सिंह S/o प्रताप सिंह	Bhandari
13	कल्याण सिंह S/o रूप सिंह	[illegible]
14	मोहन सिंह S/o [illegible] सिंह	मोहन सिंह
15	नरेन्द्र सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
16	मनोहर सिंह S/o दान सिंह	[illegible]
17	इन्द्र सिंह S/o बहादुर सिंह	इन्द्र सिंह

Nandi

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
वि0 ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)

ह0 /–
ग्राम प्रधान

1.6

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ के विधानसभा गंगोलीहाट के अन्तर्गत रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00 किमी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बेरीनाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, बेरीनाग

बेरीनाग उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.17 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.72 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.89 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बेरीनाग) की दिनांक 18-7-2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री भगत सिंह फोनिया, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री भगत सिंह फोनिया उपजिलाधिकारी बेरीनाग अध्यक्ष
2– श्री एम.एम. भट्ट उप प्रभागीय वनाधिकारी बेरीनाग सदस्य
3– श्री महेन्द्र सिंह संहायक समाज कल्याण अधिकारी बेरीनाग सदस्य/सचिव
4– श्री नन्दन सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र बड़ेत बाफिला सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.89 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बेरीनाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

1.6

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बेरीनाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत शीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.89 हे0 वन भूमि लो.नि.वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— बेरीनाग
जनपद पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— बेरीनाग
जनपद पिथौरागढ़

अनीता पिया
राजस्व उपनिरीक्षक
पट्टी ....
तहसील बेरीनाग
जनपद पिथौरागढ़

तहसीलदार
बेरीनाग

के0 सी0 पन्त
ज्येष्ठ प्रमुख
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
वि0 ख0- बेरीनाग (पिथौरागढ़)

नन्दन सिंह बाफिला
सदस्य क्षे0प0 वडेत बाफिला
वि0ख0— बेरीनाग (पिथौरागढ़)

सदस्य
क्षेत्र पंचायत भूल की आ...
वि0 ख0 बेरीनाग पिथौ...

1.6

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No 57

Dated 19-12-019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.89** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D.P Berinag (name of user agency) for **Ritha Retoli To Muwani** motor road (purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh district falls within jurisdiction of Retoli; Gurna; Mayal village (s) in Berinag tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.89** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिलाधिकारी, 19/12/19.
पिथौरागढ़

(Full name and official seal of the District Collector)

1.6

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pighoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. vijay Kumar Jogdande I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated 20.12.019 at time 10:00 AM at Pithoragarh in which application claiming rights in area measuring ***1.89*** hect for the construction of **Ritha Retoli to Muwani** Moter Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Berinag** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Pithoragarh
Dated:..19/12/19...

Deputy Commissioner cum-Chairman
District Lev

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

परियोजना विवरण :–जनपद पिथौरागढ के विधान सभा गगोलीहाट के अन्तगत रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00 कि0मी0में पडने वाली 1.89 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र
जिलास्तरीय समिति–पिथौरागढ

उप खण्ड बेरीनाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत रीठा रैतोली से मुवानी मो0 मार्ग के निमार्ण में 0.00 हे0 आ0 वनभूमि 1.17 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि 0.72 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 1.89 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग, प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील बेरीनाग) की दिनांक 19-12-019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:–

1–श्री	जिलाधिकारी पिथौरागढ अध्यक्ष।
2–श्री विनय कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ सदस्य।
3–श्री ए0 के0 शर्मा	जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ सदस्य/सचिव ।
4–श्रीमती मंजुला बुदियाल	जिला पंचायत सदस्य।
5–श्री कमलेश राम आर्या	जिला पंचायत सदस्य।
6–श्री अमर बहादुर चन्द	जिला पंचायत सदस्य ।

सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की अध्यक्षता प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि रीठा रैतोली से मुवानी मो0 मार्ग परियोजना हेतु 1.89 हे0 वनभूमि लोक निमार्ण विभाग प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को सपष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पचायत एवं उपखण्ड स्तराय सामति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सदस्य जिला पंचायत सदस्य	प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य	जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव	जिलाधिकारी अध्यक्ष

प्रभागीय वनाधिकार समिति/सदस्य
पिथौरागढ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
समिति/सदस्य/सचिव
पिथौरागढ

जिला पंचात /सदस्य
पिथौरागढ।

मन्जुला बुदियाल
सदस्य जिला पंचायत
(... सिर्दांग) धारचूला
पिथौरागढ

कमलेश राम आर्या
सदस्य
जिला पंचायत - सरमोली
मुनस्यारी, पिथौरागढ